



भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

(एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्था)

(इंडस्ट्रियल हाइजीन डिविजन)

“औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक प्रदूषकों का मूल्यांकन और प्रबंधन” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (09 से 11 सितंबर, 2026)

डीजीएफएसएलआई और आरएलआई फरीदाबाद

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय (DGOSH), जिसे पूर्व में DGFASLI कहा जाता था, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। यह मंत्रालय को व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करता है तथा राज्य सरकारों एवं कारखानों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता एवं कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्तियों के कल्याण संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। इसके अतिरिक्त, यह देश के प्रमुख बंदरगाहों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी विधानों का प्रवर्तन भी करता है।

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद (RLI Faridabad), DGOSH का अधीनस्थ कार्यालय है, जो उत्तरी क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता एवं सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

कार्यक्रम के बारे में

औद्योगिक श्रमिक कार्यस्थल पर नियमित रूप से अनेक स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में रहते हैं, विशेषकर रासायनिक प्रदूषकों जैसे विषैले गैस, धुएँ, वाष्प, धूल और रेशों के। तीव्र औद्योगिकीकरण के साथ इन जोखिमों के कारण व्यावसायिक बीमारियों की संभावना निकट भविष्य में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की आशंका है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health – OSH) में सर्वोत्तम प्रथाओं का कार्यान्वयन आवश्यक है, जिसके लिए औद्योगिक स्वास्थ्यवृत्त, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल की गहन समझ जरूरी है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (OSHC Code 2020) औद्योगिक कार्यस्थलों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में विशिष्ट रसायनों के लिए अनुमेय संपर्क सीमा

(Permissible Limits of Exposure – PLE) का अनुपालन अनिवार्य करती है। यह कानूनी प्रावधान प्रबंधन पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे कार्यस्थल पर मौजूद प्रदूषकों का मूल्यांकन, आकलन और नियंत्रण करें ताकि वे स्वीकार्य सीमा के भीतर रहें। रासायनिक जोखिमों और उनके प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि एक्सपोजर असेसमेंट, निवारक उपाय और नियामक प्रावधानों की समझ के माध्यम से इनके प्रभाव को कम किया जा सके और कार्यस्थल पर सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा सके।

उद्देश्य

रसायनिक एजेंटों द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों के बारे में प्रतिभागियों को शिक्षित और संवेदनशील बनाना। कार्यक्रम का उद्देश्य पेशवरों को रासायनिक खतरों के आकलन, कमी और प्रबंधन के लिए व्यावहारिक और विधियों से सुसज्जित करना है, साथ ही इसके लागू नियामकीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम प्रमुखता

- कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (OSHE) पर राष्ट्रीय नीति
- औद्योगिक स्वास्थ्यवृत्त (Industrial Hygiene – IH) का अवलोकन
- रासायनिक उद्योगों में जोखिम (Hazards in Chemical Industries)
- वैधानिक प्रावधान – कारखाना अधिनियम, 1948 एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020
- रासायनिक जोखिम की पहचान एवं जोखिम आकलन (Chemical Hazard Identification and Risk Assessment)
- अनुमेय संपर्क सीमा (PLEs) एवं सीमा मान (TLVs) की अवधारणा
- रासायनिक जोखिम का मूल्यांकन: कार्य वातावरण निगरानी (Work Environment Monitoring)
- जोखिम का नियंत्रण एवं प्रबंधन (रासायनिक प्रदूषक)
- व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन (Occupational Health Management)

भागीदारी

यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन पेशवरों के लिए तैयार किया गया है जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (OSH) से जुड़े हैं। इसमें सुरक्षा अधिकारी, पर्यावरण अभियंता, औद्योगिक स्वास्थ्यवृत्त विशेषज्ञ (Industrial Hygienists), कारखाना चिकित्सा अधिकारी, संयंत्र प्रबंधक, रसायनज्ञ/विश्लेषक तथा रासायनिक प्रक्रिया पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह प्रशिक्षण प्रमुख दुर्घटना जोखिम (MAH) उद्योगों, बंदरगाहों और निर्माण क्षेत्रों से जुड़े पेशवरों के लिए है।

तारीख, समय, तरीका

09 से 11 सितंबर, 2026 (तीन दिन)

1000 से 1700 घंटे। ऑफलाइन मोड

स्थान

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद – 12101, हरियाणा

नामांकन

निर्वाचन 06 सितंबर, 2026 या उससे पहले कोर्स समन्वयक को ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

प्रशासनिक विवरण

प्रतिभागी के लिए संस्थान शुल्क @ 5000/- रुपये (भोजन और निवास को छोड़कर) केवल भारतकोष पोर्टल (<https://bharatkosh.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके, केवल कोर्स समन्वयक द्वारा नामांकन की पुष्टि होने के बाद।

Follow the steps below to pay fees after confirmation only.

- Visit to <https://bharatkosh.gov.in>
- Select: Quick Payment
- Purpose search: Ministry: Labour & Employment
- Purpose: Training and services fees
- Pay & Account Office (PAO): 030050 -PAO, CLC, New Delhi
- DDO: 202195 - Regional Labour Institute, Faridabad
- Remarks: AMCCI- RLIF

आवास व्यवस्था

सीमित गैर-परिवार छात्रावास आवास उपलब्धता के आधार पर पहले आओ-पहले पाओ और युगल साझेदारी (ट्विन-शेयरिंग) व्यवस्था में प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण समन्वयक

डॉ. नितिन एस. गेडाम, उप निदेशक (आईएच)

क्षेत्रीय श्रम संस्थान सेक्टर-47, फरीदाबाद-121 010

(ओ) 129-2985536

Email: nitin.gedam@dgfasli.nic.in & rlifaridabad@dgfasli.nic.in

प्रशिक्षण निदेशक

श्री विमल कुमार मीना (निदेशक – सुरक्षा एवं प्रधान कार्यालय प्रमुख)

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर-47, फरीदाबाद – 121010

ईमेल: vimal.12@dgfasli.nic.in

उम्मीदवारी-सह-पंजीकरण प्रपत्र

“औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक प्रदूषकों का मूल्यांकन और प्रबंधन” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (09 से 11 सितंबर, 2026)

स्थान: क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान, सेक्टर - 47, फरीदाबाद - 121010

प्रतिभागी के विवरणनाम

नाम (ब्लॉक अक्षरों में) :

पद :

संचार का पता :

उम्र :

योग्यता :

कुल अनुभव :

मोबाइल नंबर :

प्रायोजन संगठन के विवरणनाम और पता :

टेलीफोन संख्या / मोबाइल संख्या :

ई-मेल :

फैक्स नंबर :

आवास : आवश्यक / आवश्यक

भुगतान विवरण (Bharatkosh Receipt No. and date):

BELONGS TO :- :

(GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Place:

Date:

SIGNATURE OF PARTICIPANT



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, FARIDABAD
(An ISO 9001:2015 certified Institution)
(INDUSTRIAL HYGIENE DIVISION)

Training Program On
“Assessment and Management Of
Chemical Contaminants In
Industries ”
(9th- 11th September, 2026)

DGOSH & RLI FARIDABAD

The Directorate General Occupational safety and Health (DGOSH) formerly DGFASLI is an attached office of the Ministry of Labour and Employment, Government of India and serve as a technical arm to assist the Ministry in formulating National Policies on Occupational Safety and Health and to advise the State Governments and Factories on matters concerning Safety, Health, Efficiency and well-being of persons at work. It also enforces safety and health statutes in major Ports of the country.

The Regional Labour Institute, Faridabad, one of the Sub- ordinate Offices of DGOSH, has been rendering technical assistance and services in the field of Occupational Health, Safety and Environment in the Northern Region.

ABOUT THE PROGRAM

Industrial workers are routinely exposed to a wide range of health hazards in the workplace, particularly chemical contaminants such as toxic gases, fumes, vapors, dusts, and fibers. With rapid industrialization, the risk of occupational illnesses due to these exposures is expected to rise significantly in the near future.

To address these challenges, it is essential to implement best practices in Occupational Safety and Health (OSH), which requires a thorough understanding of Industrial Hygiene, Health, and Safety protocols within industrial

environments.

The OSHWC code 2020 mandates compliance with Permissible Limits of Exposure (PLE) for specific chemicals in the industrial work environment as well other establishment. This legal requirement places a responsibility on management to Evaluate, Assess, and Control workplace contaminants to ensure they remain within acceptable limits. Raising awareness about chemical hazard & their risks is essential in reducing their impact through understanding of exposure assessment, mitigation measures and regulatory provisions to foster a culture of safety within the workplace.

OBJECTIVE

To educate and sensitize participants about the health and safety risks posed by chemical agents. Program aims to equip professionals with practical tools and methodologies for the assessment, mitigation, and management of chemical hazards, while ensuring compliance with applicable regulatory standards.

PROGRAM HIGHLIGHT

- National Policy on OSHE at workplace.
- Overview on Industrial Hygiene
- Hazards in Chemical Industries.
- Statutory Provisions-The Factories Act-1948, The OSH&WC Code-2020.
- Chemical Hazard Identification and Risk Assessment
- Concept of PLEs & and TLVs.
- Chemical Hazard evaluation: Work Environment Monitoring.
- Controlling & managing the Hazard (Chemical contaminant)
- Occupational Health Management

PARTICIPATION

This program is specifically designed for professionals engaged in OSH, including Safety Officers, Environmental Engineers, Industrial Hygienists, Factory Medical Officers, Plant Managers, Chemists/Analysts, and Chemical Process Supervisors from Major Accident Hazard (MAH) Industries, ports and construction sectors.

DATE, TIMINGS, MODE

9th- 11th September, 2026 (Three days)

1000 to 1700 hrs. OFFLINE MODE

VENUE

Conference Room, Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 121010, Haryana

NOMINATION

Nomination may be sent by email to the Course Coordinator, on or before 6th September, 2026.

ADMINISTRATIVE DETAILS

Institution fee @ Rs 5000/- (Excluding Boarding and Lodging) per participant through Bharatkosh portal (<https://bharatkosh.gov.in>) may be deposited online by using the following steps only **after nomination confirmed from the Course Coordinator.**

Follow the steps below to pay fees after confirmation only.

- Visit to <https://bharatkosh.gov.in>
- Select: **Quick Payment**
- Purpose search: **Ministry: Labour & Employment**
- Purpose: **Training and services fees**
- Pay & Account Office (PAO): **030050 -PAO, CLC, New Delhi**
- DDO: **202195 - Regional Labour Institute, Faridabad**
- Remarks: **AMCCI- RLIF**

ACCOMMODATION

Limited non-family hostel accommodation subject to availability on a first-come-first-served and twin sharing basis.

TRAINING COORDINATOR

Dr. Nitin S. Gedam, Deputy Director (IH)
 Regional Labour Institute,
 Sector-47, Faridabad-121 010
 (O) 129-2985536
Email: nitin.gedam@dgfasli.nic.in & rlifaridabad@dgfasli.nic.in

TRAINING DIRECTOR

Sh. Vimal Kumar Meena, Director (S) & HOO
 Regional Labour Institute
 Sector-47, Faridabad-121 010
Email: vimalk.12@dgfasli.nic.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

**Training Program On
“Assessment and Management Of Chemical Contaminants In
Industries ”**

(9th- 11th September, 2026)

AT

REGIONAL LABOUR INSTITUTE, SECTOR – 47, FARIDABAD – 121010

PARTICIPANT'S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No. :

E-mail :

Fax No. :

Accommodation : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS (Bharatkosh Receipt No. and date):

BELONGS TO :- :

(GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Place:

Date:

SIGNATURE OF PARTICIPANT